

कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय
एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर

क्रमांक...../एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक.....

कार्यालय आदेश

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन्स रेगुलेशन, 1998 के अनुसार चिकित्सा अधीक्षक ईकाई प्रभारी हो सकता है किन्तु वह चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान में विभागाध्यक्ष नहीं हो सकता । इसी क्रम में डा०आर.के.सोलंकी, वरिष्ठ आचार्य, मनोरोग द्वारा दोनों पदों में से अधीक्षक का पद छोड़ने की लिखित सहमति प्रस्तुत की गई है ।

अतः विभाग में कार्यरत अग्रिम वरिष्ठ चिकित्सक शिक्षक डा०संजय जैन, वरिष्ठ आचार्य, मनोरोग को तुरन्त प्रभाव से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि 07.09.2021 अथवा अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण, त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, अधीक्षक, मनो चिकित्सा केन्द्र, जयपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

३०

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक.....783०...../एफ/एमसी/ईजी/2019

दिनांक.....14/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर ।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, जयपुर ।
3. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोरोग ।
4. डा०आर.के.सोलंकी, अधीक्षक, मनो चिकित्सा केन्द्र, जयपुर ।
5. डा०संजय जैन, वरिष्ठ आचार्य द्वारा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोरोग ।
6. नोडल ऑफीसर, कालेज वेबसाईट ।
7. नियंत्रण अधिकारी, शैक्षणिक शाखा/सामान्य शाखा/पी.जी.शाखा/विधि शाखा/लेखाशाखा/सांख्यिकी शाखा/आई.टी.सैल ।
8. निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अति०निजी सचिव, अति०प्रधानाचार्य ।



प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक